1332

08/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण विपक्षीगण की तलबी व TR तामील रिपोर्ट हेतु दिनांक 03/9/25 को पेश हो।

03-09.25 पत्रावली दिनांक 03-09.25 को अवकाश होने से आज दिनांक को पेश हुई। आज बार एसोसिएशन का कार्य स्थगन होने से पत्रावली साबिक आदेश मे दिनांक 08-09.25 को पेश हो।

08.9.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण अधिवक्ता को तीन बार आवाज लगायी गयी। फिर भी उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की अदम हाजरी व प्रार्थीगण अधिवक्ता की अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

उपजिलाधिकारी

Form No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी	मुकाम भीलवाड़ा
सोहन लाल	बनाम	सोहन
म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र	नं0 92	सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-2024	राजस्व प्रार्थना पत्र बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी श्री श्रवण कुमार सेन हाजिर। हाजिर होकर प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया। दर्ज योग्य पाये जाने से दर्ज रजिस्टर का आदेश दिया गया। अप्रार्थीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र जरिये नोटिस तलब किया जावे। प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाना है। अतः अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि मौजा पुर पटवार हल्का पुर–प्रथम भू. अभि. नि. क्षेत्र पुर तहसील भीलवाड़ा के हल्के बैरूनी के खाता संख्या 1768 में प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदरी की आराजी संख्या 7140 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2529 हैक्टयर स्थित है, प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन हेतु ट्रेक्टर–बैलगाड़ी, मवेशी आदि लाने–ले–जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि आराजी नम्बर 10524/7142 की उतरी पूर्वी दिशा की मेड़ के सहारे–सहारे होते हुए 16 फीट चौड़ाई में से होकर रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में नया रास्ता चाहता है। अतः मौका कमिश्नर से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त की जावे कि– 1. ''क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है'', अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबंदी), 2. ''यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करावें।'' 3. ''यदि वैकल्कि रास्ता उपलब्ध नहीं है'' तो मौका कमिश्नर प्रकरण के समस्त पक्षकारान् को तलब कर आपसी राजीनामे से रास्ता देने बाबत् सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान् को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें। (मय पर्चा मौका), 4. सहमति नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई X चौड़ाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर पक्षकारान् को दी जाने वाली राशि प्रस्तावित करें	

Shod